अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

सा.का.नि. 198(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के भाग 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (केवल नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं**

(1) इन विनियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

(ख) "नियत दिन" का अर्थ है दिनांक 01 अक्तूबर, 2007 जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना करने की अधिसूचना जारी की थी।

(ग) "प्राधिकृत क्षेत्र" का अर्थ है वह क्षेत्र जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए किसी को प्राधिकृत करना।) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) में परिभाषित क्षेत्र।

(घ) "बोर्ड" का अर्थ है अधिनियम के खण्ड 3 के उप खण्ड (1) के अन्तर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित की गई हैं, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनके लिए दिया गया है।

3. **प्रायोज्यता**

ये विनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर और स्थानीय प्राकृतिक गैस विनियामक नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए किसी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अन्तर्गत नगर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (जिसे इसमें आने सीजीडी नेटवर्क कहा गया है) बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाले या बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव देने वाले पर लागू होंगे।

4. **विशिष्टता प्रदान करने के लिए तर्क का आधार**

किसी को विशिष्टता प्रदान करने के लिए तर्क के आधार की व्याख्या अनुसूची 'क' में दी गई है, जिसमें केवल सीजीडी नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने वाले को विशिष्टता प्रदान करने के लिए तर्क के आधार की व्याख्या की गई है, जो इस विनियम का भाग नहीं है, जिनका विधिक बल नहीं है और जिन्हें इन विनियमों की व्याख्या करते हुए उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए या उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

5. **सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण या विस्तार करने के लिए विशिष्टता**

(1) बोर्ड निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन परियोजना की आर्थिक अवधि में सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण या विस्तार करने के लिए किसी को विशिष्टता प्रदान कर सकता है अर्थात:-

(क) सीजीडी नेटवर्क परियोजना, जिसमें पाइपलाइनों का नेटवर्क, प्राकृतिक गैस को सीएनजी में कंप्रेस करने के लिए ऑनलाइन कम्प्रेशर और अन्य सहायक उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं, की आर्थिक अवधि जो आमतौर पर 25 वर्ष मानी गई है, के दौरान प्राधिकृत कंपनी पाइपलाइन क्षमता निर्माण और सीएनजी अवसंरचना के माध्यम से आगे का अपेक्षित विस्तार करने और नेटवर्क प्रणाली का हमेशा रखरखाव करने के साथ-साथ उसे

तकनीकी उन्नयन के बराबर बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर परिसम्पत्तियों और सुविधाओं का उन्नयन करना और उन्हें प्रतिस्थापित करने का कार्य करेगा और वह कंपनी प्राकृतिक गैस का सीएनजी में कंप्रेशन करने के लिए ऑनलाइन कम्प्रेशरों सहित पाइपलाइनों और अन्य सहायक उपकरणों में निवेश के आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जो विनियम 8 के अनुसार सेवा बाध्याताओं का पालन करने के साथ-साथ विनियम 6 के अनुसार विशिष्टता पश्चात अवधि की अपनी आवश्यकताओं या अन्य कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने उभर कर सामने आए है।

(ख) परियोजना की आर्थिक अवधि निम्नलिखित से प्रारम्भ होगी:-

(i) यदि कोई कंपनी नियत दिन को या उसके बाद सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने या विस्तार करने का प्रस्ताव देता है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा उस कंपनी को प्राधिकृत करने की तारीख से।

(ii) यदि कोई कंपनी नियम दिन से पहले सीजीडी नेटवर्क बिछाता है, निर्माण करता है या विस्तार करता है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नियत दिन से पहले प्राधिकार प्राप्त हो गया है या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत) विनियम, 2008 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्राधिकार दे दिया गया है, तो सीजीडी नेटवर्क परियोजना की आर्थिक अवधि सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण या विस्तार के कार्यकलाप वास्तव में प्रारम्भ करने की तारीख से प्रारम्भ होंगे।

(ग) परियोजना की आर्थिक अवधि की समाप्ति पर 10 वर्षों के ब्लाक के लिए समयावधि बढ़ाने की अनुमति देने या न देने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 8 के अंतर्गत दी गई सेवा बाध्यताओं की शर्तों और निबंधनों पर तत्समय उचित समझे जाने पर निर्धारित सेवा बाध्यताओं और सेवा की गुणवत्ता का संतोषजनक तरीके से अनुपालन करने के आधार पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

(घ) उप विनियम (1) के खण्ड (क) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दण्ड लगाया जाएगा और विनियम 10 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्टता अवधि समाप्त कर दी जाएगी और बोर्ड को विनियम 10 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सीजीडी नेटवर्क में परिसम्पत्तियों और सुविधाओं दोनों को बिछाने, निर्माण या विस्तार करने या प्रतिसथापित करने के कार्यकलाप प्रारम्भ करने हेतु किसी अन्य कंपनी को अनुमति देने का अधिकार है।

6. **समान वाहक या संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार से विशिष्टता**

(1) बोर्ड इस शर्त पर किसी ऐसे व्यक्ति/फर्म, को विशिष्टता प्रदान कर सकता है जिसने प्राधिकार की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए समान वाहक या संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार से सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्रस्ताव दिया हो और विनियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित सेवा बाध्यताओं को पूरा करता हो।

(2) यदि कोई कंपनी निर्धारित दिन से पहले ही किसी सीजीडी नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार करती है और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार) विनियम, 2008 के अधीन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो साधारण वाहक या संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से भिन्न अवधि इस प्रकार होगी:-

(क) यदि कंपनी निर्धारित दिन से पूर्व तीन वर्ष या इससे अधिक समय के लिए सीजीडी नेटवर्क के लिए कार्य कर रही है तो उसके मामले में ऐसी विशिष्टता को अनुमति देने के लिए बोर्ड द्वारा जारी किए गए पत्र की तारीख से तीन वर्ष।

(ख) यदि कंपनी निर्धारित दिन से पूर्व तीन वर्ष से कम समय में सीजीडी नेटवर्क के लिए कार्य कर रही है तो उसके मामले में ऐसी विशिष्टता की अनुमति देने के लिए बोर्ड द्वारा जारी किए गए पत्र की तारीख से पांच वर्ष।

7. **विशिष्ट कार्य-निष्पादन बंधपत्र**

निर्धारित दिन से पूर्व सीजीजी ढ्राचे की स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार करने वाला कंपनी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कार्यकलापों के लिए प्राधिकृत किया गया हो, उसे बोर्ड को एक विशिष्ट कार्य-निष्पादन बंधपत्र भेजना होगा जो उसे विशिष्टता की अनुमति देने से सम्बद्ध होगा और जो उस

धनराशि का होगा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार) विनियम, 2008 के विनियम 9 में विनिर्दिष्ट हो।

8. **सेवा संबंधी दायित्व**

(1) जिस कंपनी को विनियमन 6 के अधीन विशिष्टता मिली हुई हो, उसे विशिष्टता को अवधि के दौरान निम्नलिखित दायित्वों का पालन करना होगा, अर्थात्

(क) जो कंपनी निर्धारित दिन के बाद किसी सीजीडी नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार का प्रस्ताव करे और जिसे बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार) विनियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत किया गया हो उसे निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

(i) बोली के अनुसार घरेलू पीएनजी कनेक्शन लगाने होंगे।

(ii) इंच-किलोमीटर की बोली के अनुसार स्टील पाइपलाइन बिछानी और निर्मित करनी होगी।

(iii) चार्ज क्षेत्रों अथवा वार्डों में उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त आकार की पाइपलाइनों के माध्यम से प्राधिकृत क्षेत्र के सभी चार्ज क्षेत्रों या वार्डों तक पहुंचना होगा।

(iv) पाइपलाइन के टैप-आफ तक उपभोक्ता के स्थल पर मीटरिंग इकाई के 25 मीटर की दूरी के भीतर भोजन पकाने के प्रयोजनार्थ घरेलू उपभोक्ता को मांग करने पर पाइप के जरिए गैस कनैक्शन देना होगा।

बशर्ते कि बोर्ड द्वारा वास्तविक उपलब्धि की तिमाही आधार पर मानिटरिंग की जाएगी;

(ख) जो कंपनी निर्धारित दिन से पहले किसी सीजीडी नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार कर रहा हो और जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस

वितरण नेटवर्क प्राधिकरण) विनियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, वह कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:-

(i) घरेलू सीएनजी कनैक्शन सुलभ कराने तथा उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) और (ii) के अनुसार इंच-किलोमीटर के आधार पर स्टील की पाइपलाइन बिछाने और सृजित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। यह कार्य उस स्तर तक करना होगा जिसका निर्धारण वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से समान नगरों या स्थानीय क्षेत्रों अथवा यदि ऐसे समान नगर अथवा क्षेत्र न हों तो उपयुक्त बहिर्वेशन या अन्टरक्शेन द्वारा जनसंख्या की दृष्टि से ऐसे नगरों या क्षेत्रों जो इन नगरों या क्षेत्रों के निकटतम रहे हो,

(ii) सभी चार्ज क्षेत्रों या वार्डों में उपभोक्ताओं की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त आकार की पाइपलाइनों के जरिए उन चार्ज क्षेत्रों या वार्डों तक पहुंचेगा।

(iii) पाइपलाइन के अन्त तक उपभोक्ता के स्थल मीटरिंग इकाई के 25 मीटर की दूरी के भीतर खाना पकाने क प्रयोजनों के लिए घरेलू उपभोक्ता की मांग किए जाने पर पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनैक्शन सुलभ कराना;

बशर्तें कि बोर्ड द्वारा वास्तविक उपलब्धि की तिमाही आधार पर मानिटरिंग की जाएगी।

(2) विनियम 6 के अधीन अनुमत विशिष्टता की अवधि के दौरान, प्राधिकृत कंपनी सीएनजी जारी करने की स्वयं की अथवा किसी अन्य कंपनी की सुविधा के माध्यम से कम्प्रेस प्राकृतिक गैस सप्लाई कर सकता है और बाद वाले मामले में अन्य कंपनी को प्राधिकृत कंपनी को सीएनजी के लिए कम्प्रेशन शुल्क देना होगा तथा प्राधिकृत कंपनी को निम्नलिखित के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकृत वाणिज्यिक अनुबन्ध करना होगा।

(क) या तो अपनी गैस वितरण के अपने सुविधाएं स्थापित करना जहां कम्प्रेशन को सुविधाओं का स्वामित्व, उसकी स्थापना तथा संचालन का कार्य प्राधिकृत कंपनी का होगा, अथवा

(ख) प्राधिकृत कंपनी के कम्प्रेशन स्टेशन से सीएनजी प्राप्त करना ताकि उसे बाद में प्राधिकृत क्षेत्र में वितरित किया जा सके।

(3) विनियम 6 के अधीन अनुमत विशिष्टता को अवधि बीत जाने के बाद, कोई भी कंपनी जो प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए सीजीडी ढांचे का इस्तेमाल कर रहा हो वह स्वयं द्वारा या किसी अन्य कंपनी द्वारा सीएनजी के वितरण के लिए सीएनजी हेतु कम्प्रैशन शुल्क के भुगतान पर प्राधिकृत कंपनी की आन-लाइन कम्प्रैशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है।

9. **विशिष्टता के बाद से अवधि अर्थात् विनियम 6 के अधीन अनुमत विशिष्टता की अवधि के बाद की अवधि**

कंपनी -

(1) सीएनजी की घरेलू मांग के आधार पर सभी चार्ज क्षेत्रों में और अधीक पाइप बिछाकर पाइपलाइनों के ढांचे का विस्तार करना जारी रखेगी। इसके अलावा, सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा बनाएगी जिसका सीजीडी ढांचे या पर्याप्त दाब होगा। इसकी आवश्यकता कंपनी की अपनी जरुरत अथवा विशिष्टता की अवधि के बाद सीजीडी ढांचे का इस्तेमाल कर रहे अन्य व्यक्तियों/फर्म की जरुरत के कारण हो सकती है।

(2) निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार, सीजीडी ढांचे पर किसी भी कंपनी के बिना किसी भेदभाव के तृतीय पक्ष की पहुंच की अनुमति देना;

(क) सीजीडी नेटवर्क हेतु संबंधित पहुंच आचार नियामक; और

(ख) सीजीडी ढांचे की एक साधारण वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषणा हेतु संबंधित विनियामक

(3) किसी भी चार्ज क्षेत्र में किसी भी कंपनी के किसी घरेलू उपभोक्ता की मांग करने पर पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस सुलभ कराना:

बशर्ते कि पाइपलाइन के अंतिम छोर या उत्थानक से उपभोक्ता के स्थल तक मीटरिंग इकाई की दूरी 25 मीटर से अधिक न हो।

10. **विशिष्टता को निरस्त करना**

(1) यदि कंपनी प्राकृतिक गैस की मांग पूरी करने के लिए सीजीडी ढांचे की स्थापना, निर्माण या विस्तार करने से इन्कार कर देती है या असफल रहती है, जिसमें विनियम 6 के अधीन विशिष्टता प्राप्त अन्य कंपनी जिन्हें विशिष्टता के बाद सीजीडी ढांचा इस्तेमाल करने की अनुमति मिली हुई हो, उनकी आवश्यकता भी शामिल है, तो निर्धारित दिन के बाद सीजीडी ढांचे की स्थापना, निर्माण संचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव रखने वाले कंपनी को जिसे बोर्ड द्वारा, निर्धारित तारीख से पहले सीजीडी ढांचा स्थापित, निर्मित, संचालित या विस्तृत करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 5 के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, विनियम 6 के अधीन दी गई विशिष्टता पूरे प्राधिकृत क्षेत्र या उसके एक अंश के लिए समाप्त कर दी जाएगी।

(2) विनियम 8 के अधीन उपबन्धों का पालन न करने अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अधीन विनिर्दिष्ट सेवा मानकों के गुण स्तर का बार-बार उल्लंघन होने के परिणामस्वरूप विशिष्टता को रद्द कर दिया जाएगा।

(3) उप विनियम (1) और (2) के अधीन विशिष्टता को समाप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी, अर्थात्

(क) बोर्ड चूक करने वाले कंपनी को एक नोटिस जारी करेगा जिसके द्वारा इन विनियमों के अधीन और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों का नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को स्थापना, निर्माण, संचालन एंव विस्तार करने हेतु प्राधिकृत करना), विनियम 2008 में विनिर्दिष्ट सेवा मानकों की क्वालिटी के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समुचित समय दिया जाएगा;

(ख) यदि कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बोर्ड की तसली करते हुए सुधारक उपाय कर लिए जाते हैं तो कोई आगामी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ग) यदि कंपनी द्वारा सुधारक उपाय नहीं कि जाते हैं तो बोर्ड निम्नलिखित आधार पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र द्वारा नकद धनराशि प्राप्त करेगा, अर्थात्

(i) पहली चूक के लिए कार्य निष्पादन बंधपत्र की धनराशि का प्रतिशत, और

(ii) दूसरी चूक के लिए कार्य-निष्पादन बंधपत्र का 50 प्रतिशत।

बशर्ते कि प्रत्येक मामले में यदि कंपनी एक सप्ताह के भीतर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की नकद रकम की भरपाई कर देगी अन्यथा कार्य निष्पादन बंधपत्र की शेष धनराशि भी नकद करा ली जाएगी और कंपनी की विशिष्टता, जिसमें प्राधिकार भी शामिल है, समाप्त कर दी जाएगी।

(iii) तीसरी चूकि के लिए कार्य-निष्पादन बंधपत्र की शत प्रतिशत धनराशि ले ली जाएगी और साथ ही साथ विशिष्टता भी समाप्त कर दी जाएगी।

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत कंपनियों को 45 दिन के भीतर बंधपत्र को धनराशि फिर से जमा करानी होगी अन्यथा उनका प्राधिकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।

(4) निर्धारित तारीख के बाद तथा बोर्ड द्वारा अधिकृत किए जाने पर सीजीडी नेटवर्क को संचालित करने का प्रस्ताव करने वाले कंपनी को अथवा जो निर्धारित दिन से पूर्व सीजीडी संचालित कर रहा हो और जिसे केन्द्रीय सरकार या बोर्ड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार करने हेतु प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, उसे विनियम 6 के अधीन दी गई विशिष्टता समाप्त कर दी जाएगी यदि वह कंपनी इन विनियमों के अधीन सेवा के दायित्वों का पालन करने में असफल रहती है अथवा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 का बार-बार उल्लंघन हुआ हो।

(5) उप-विनियम *(4)* के अधीन विशिष्टता को समाप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी, अर्थात्

(क) इन विनियमों के अधीन सेवा दायित्व पूरे न करने और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अधीन विनिर्दिष्ट सेवा मानकों की गुणवत्ता पूरा न किए जाने के संबंध में बोर्ड कंपनी को

एक नोटिस जारी करेगा और उसे इन विनियमों के अधीन दायित्व पूरे करने के लिए समुचित समय देगा।

(ख) यदि कंपनी द्वारा, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर/बोर्ड की संतुष्टि करते हुए सुधारक उपाय कर लिए जाते हैं तो कोई आगामी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ग) यदि सुधारक कार्रवाई नही की जाती है तो बोर्ड निम्नलिखित आधार पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की धनराशि नकदी के रूप में प्राप्त कर सकता है:-

(i) पहली चूक होने पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की धनराशि का 25 प्रतिशत; और

(ii) दूसरी चूक के लिए कार्य-निष्पादन बंधपत्र की धनराशि का 50 प्रतिशत;

बशर्ते कि दोनों में से किसी भी मामले में कंपनी कार्य-निष्पादन बंधपत्र की नकद प्राप्त की जा चुकी रकम की एक सप्ताह में भरपाई करेगी अन्यथा कार्य-निष्पादन बंधपत्र की शेष धनराशि भी नकद वसूल कर ली जाएगी तथा कंपनी की प्राधिकरण सहित विशिष्टता समाप्त कर दी जाएगी।

(iii) तीसरी चूक के लिए कार्य-निष्पादन बंधपत्र की शत-प्रतिशत धनराशि और साथ ही साथ विशिष्टता भी समाप्त कर दी जाएगी।

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों के नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत कंपनियों को 15 दिन के भीतर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की धनराशि फिर से जमा करानी होगी अन्यथा उनका प्राधिकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

(ड.) विनियम 5 के अधीन दी गई विशिष्टता खोने वाला कंपनी विनियम 6 के अधीन प्रदत्त विशिष्टता को भी स्वत: ही खो देगी।

11. **विविध**

यदि इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों की व्याख्या के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

अनुसूची क

[कृपया विनियम 4 देखें]

किसी सी.जी.डी. ढांचे के स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए विशिष्टता की अनुमति देने का मूलाधार[1]

---

1. विशिष्टता

(क) परियोजना की आर्थिक अवधि के दौरान सीजीडी ढांचे की स्थापना, निर्माण और विस्तार के लिए; और

(ख) संविदा वाहक अथवा सामान्य वाहक के कार्यक्षेत्र से एक सीमित अवधि के लिए छूट की दृष्टि से-

अन्तः प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए समुचित प्राथमिकताओं के साथ सीजीडी ढांचे के नियोजित और समेकित विकास को सुविधाजनक बनाने तथा नेटवर्क के प्रसार के लिए और उसके अलावा ऐसी परियोजना में निवेश के लिए व्यक्ति (कंपनी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए परिकल्पित है।

2. खण्ड 1 के उप-खण्ड (क) के अनुसार, निर्धारित तकनीकी मानकों, विनिर्दिष्टियों, जिनमें सुरक्षा के मानक शामिल हैं, के अनुसार किसी एक कंपनी द्वारा समेकित नेटवर्क के विकास और संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्टता आवश्यक है।

3. खण्ड 1 के उप-खण्ड (ख) के अनुसार विशिष्टता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होगी, अर्थात्

(क) नगरीय अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के आरम्भिक चरण में अपेक्षित बुनियादी ढांचे के विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस की मात्रा में वृद्धि में निकट समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होगी। यह आशा की जाती है कि नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विकास यदि नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के अन्य सम्भावी विक्रेताओं की आशाओं के बजाय कंपनी को सेवा संबंधी विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार हो की अपनी योजना से भावी निर्देशित हो तो ऐसा विकास तेजी से होगा। साथ ही, आरम्भिक अवधि के दौरान कंपनी द्वारा सेवा संबंधी

---

1 इस अनुसूची क में केवल सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को विशिष्टता प्रदान करने के औचित्य को ही स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है और इन विनियमों की व्याख्या करते समय इसे उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए या इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

दायित्वों का पालन करना सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के लिए बहुत से कंपनियों के बजाय एक कंपनी के साथ कार्य करना व्यवहार्य होगा।

(ख) विशिष्टता को सीमित अवधि के दौरान, प्राधिकृत कंपनी वांछित सेवा दायित्वों अर्थात् अधिकतम पीएनजी घरेलू कनेक्शन देने और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में प्राधिकृत कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार बनाया जा सकता है।

(ग) इसके अलावा, पूंजीगत बहुल व्यापार में निवेश को इस दृष्टिकोण से अधिक प्रोत्साहक बनाए जाने की संभावना है।

4. आदर्श रूप से, जबकि खण्ड। के उप-खण्ड (क) के अनुसार विशिष्टता परियोजना के आर्थिक कार्यकाल तक होगी, खण्ड 1 के उप-खण्ड (ख) के अनुसार विशिष्टता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी अर्थात् नगर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की प्रत्याशित मांग का परिमाण (जो आगे उस नगर या स्थानीय क्षेत्र में मांग के प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगा जैसे कि औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, वाहनों की संख्या, वाहनों को सीएनजी में परिवर्तन करना, सम्मानित घरेलू पीएनजी ग्राहक, उपभोक्ताओं की पसन्द, वैकल्पिक ईंधन का मूल्य आदि भौगोलिक प्रसार और जनसंख्या, परियोजना की प्रत्याशित पूंजीगत लागत, निवेश का वातावरण आदि। वैसे, प्रत्येक नगर में इन कारकों के अलग-अलग होने की बात को ध्यान में रखते हुए, इन कारकों के आधार पर विशिष्टता की अवधि का विश्वसनीय मूल्यांकन सदैव व्यावहारिक नहीं होता। इस प्रकार, यह प्रस्तावित है कि जहां कोई कंपनी सीजीडी नेटवर्क को स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार करने का प्रस्ताव को वहां खण्ड । के उप-खण्ड (ख) के अनुसार विशिष्टता की अवधि पांच वर्ष तक सीमित रखी जाए। लेकिन, कोई कंपनी निर्धारित दिन से पहले, सीजीडी नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन अथवा विस्तार कर रहा है और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है अथवा बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगरीय या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत किया गया है तो (यदि कंपनी निर्धारित दिन से पहले तीन वर्ष या अधिक समय से कार्य कर रही है) तो विशिष्टता की अवधि तीन वर्ष होगी अथवा (यदि कंपनी निर्धारित दिन से पूर्व तीन वर्ष से कम समय से कार्य कर रहा है) तो विशिष्टता की अवधि पांच वर्ष होगी।

[फा. सं. एस-एडीएमएनं/II/8/2007-वॉल्यूम-I]

अजय त्यागी, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2008

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "appointed day" means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

(c) "authorized area" means the area as defined in clause (c) of sub-regulation *(1)* of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;

(d) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Application.**

These regulations shall apply to an entity which is laying, building, operating or expanding or which proposes to lay, build, operate or expand a city or local natural gas distribution network (hereinafter referred as CGD network) under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

4. **Rationale for allowing exclusivity.**

The rationale for allowing exclusivity to an entity is explained in Schedule A, which only explains the rationale for allowing exclusivity to entities to lay, build, operate or expand CGD networks, is not part of this regulation, does not have any legal force and should not be quoted or relied upon while interpreting these regulations.

5. **Exclusivity for laying, building or expansion of CGD network**

(1) The Board may allow an entity exclusivity for laying, building or expanding of CGD Network over the economic life of the project subject to the following terms and conditions, namely:-

(a) during the economic life which is normally expected to be twenty five years of the CGD network project consisting of network of pipelines, online compressors for compressing natural gas into CNG and other allied equipments and facilities, the authorized entity shall carry out further expansions required through pipeline capacity building and CNG

infrastructure as well as carry out replacements and upgradation of assets and facilities as and when necessary in order to maintain the network system integrity at all times including keeping it abreast of technical advancements and the entity shall meet the requirement for investment in pipelines and other allied equipments including online compressors for compression of natural gas into CNG which may emerge either to meet the entity's own requirements or other entities requirements post-exclusivity period as per regulation 6 besides complying with the service obligations as per regulation 8;

(b) The economic life of the project shall commence from,-

(i) in case an entity proposes to lay, build or expand a CGD network on or after the appointed day, the date of grant of authorization to the entity by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;

(ii) in case an entity is laying, building or expanding CGD network before the appointed day, where the entity has either an authorization from the Central Government before the appointed day or an authorization from the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the economic life of the CGD Network project shall commence from the start-up date of the commencement of physical activities of laying, building or expanding the CGD network.

(c) at the end of the economic life of the project, issue of allowing further extension of the period of exclusivity or not may be considered by the Board for a block of ten years at a time, depending on the satisfactory compliance of the service obligations and quality of service norms as specified in the

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the service obligations under regulation 8 and on such terms and conditions, as it may deem fit at that point in time.

(d) non-compliance to the provisions of clause *(a)* of sub-regulation *(1)* shall be dealt through levy of penalty and termination of the exclusivity period as per the provisions of regulation 10 and the Board reserves the right to allow any other entity to take up the activities of laying, building or expanding or replacement of assets and facilities or both in the CGD network in terms of the provisions in regulation 10.

6. **Exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier.**

(1) The Board may provide exclusivity to an entity proposing to lay, build, operate or expand a CGD network from the purview of common carrier or contract carrier for a period of five years from the date of authorization subject to the conditions that the entity meets the service obligations as stipulated under regulation 8.

(2) In case an entity is laying, building, operating or expanding a CGD network before the appointed day and has been authorized by the Central Government or has been authorized by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the period of exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier shall be -

(a) three years from the date of issue of the letter by the Board for allowing such exclusivity in case the entity has been operating the CGD network for three years or more before the appointed day;

(b) five years from the date of issue of the letter by the Board for allowing such exclusivity in case the entity has been operating the CGD network for less than three years before the appointed day.

7. **Specific performance bond.**

Entity laying, building, operating or expanding a CGD network before the appointed day and authorized by the Central Government for such activities shall be required to furnish to the Board, a specific performance bond linked to allowing of exclusivity and equal to the amount as specified under regulation 9 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

8. **Service obligations.**

(1) The entity allowed exclusivity under regulation 6 shall comply with the following service obligations during the exclusivity period, namely:-

(a) in respect of an entity proposing to lay, build, operate or expand a CGD network after the appointed day and which has been authorized by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the entity shall -

(i) provide domestic PNG connections as per the bid;

(ii) lay and build steel pipeline as per the inch-kilometer bid;

(iii) reach all charge areas or wards in the authorized area through pipelines of adequate size to meet the demand of the consumers in these charge areas or wards; and

(iv) provide piped natural gas connection on demand to a domestic consumer for cooking purposes within a distance of twenty five meters of the metering unit at the consumer's end till the tap-off in the pipeline:

Provided that the physical achievement shall be monitored by the Board on a quarterly basis;

(b) in respect an entity laying, building, operating or expanding a CGD Network before the appointed day and which has been either authorized by the Central Government or by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the entity shall -

(i) achieve the targets in respect of providing PNG domestic connections and laying and building steel pipeline inch kilometer as per sub-clauses *(i)* and *(ii)* of clause *(a)* of sub-regulation *(1)* at the levels derived based on the successful bids of similar placed cities or local areas in terms of the population as per the census of India 2001 or in the absence of such similarly placed cities or areas, the cities which come closest to these cities or areas in terms of population by suitable extrapolation or interpolation;

(ii) reach all charge areas or wards through pipelines of adequate size to meet the demand of the consumers in these charge areas or wards;

(iii) provide piped natural gas connection on demand to a domestic consumer for cooking purposes within a distance of twenty five meters of the metering unit at the consumer-end till the tap-off point in the pipeline:

Provided that the physical achievement shall be monitored by the Board on a quarterly basis.

(2) During the period of exclusivity allowed under regulation 6, the authorized entity may supply compressed natural gas for dispensing either through CNG dispensing facilities owned by itself or by any other entity and in the latter case,

the other entity shall be required to pay the compression charge for CNG to the authorized entity and enter into a mutually agreeable commercial contract with the authorized entity for-

(a) either having the online compression facilities installed in its own dispensing facilities wherein the online compression facilities shall be owned, installed and operated by the authorized entity, or

(b) take delivery of CNG ex-online compressor station of the authorized entity for subsequent dispensing in the authorized area.

(3) After the expiry of the exclusivity period allowed under regulation 6, any entity using the CGD network for transportation of natural gas may use the online compressor facilities of the authorized entity against payment of compression charge for CNG for dispensing of CNG either by itself or by any other entity.

9. **Post-exclusivity period, that is, beyond the period of exclusivity allowed under regulation 6.**

The entity shall -

(1) continue to expand the network of pipelines by increasing the penetration within all charge areas based on the demand for PNG domestic, besides laying requisite infrastructure for adequate availability of CNG and at adequate pressure in the CGD network, which could emerge out of entity's own requirement or that of other entities which may use the CGD network in the post-exclusivity period.

(2) allow third party access on a non-discriminatory basis to any entity in its CGD network as per the provisions in the -

(a) relevant regulations on access code for CGD networks; and

(b) relevant regulations for declaring CGD networks as common carrier or contract carrier;

(3) provide piped natural gas connection on demand to a domestic consumer of any entity within any charge area:

Provided that the distance from the metering unit from the consumer-end to the tap-off point in the pipeline shall not be more than twenty five meters.

10. Cancellation of exclusivity.

(1) The exclusivity allowed under regulation 5 to an entity proposing to lay, build, operate or expand a CGD network after the appointed day and which has been authorized by the Board or laying, building, operating or expanding a CGD network before the appointed day and which has been authorized by the Central Government or by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, shall be terminated, either for the entire authorized area or part thereof, in case the entity either refuses or fails to lay, build or expand the CGD network to meet the natural gas demand requirements including the requirements of other entities allowed to use the CGD network post exclusivity provided under regulation 6.

(2) Non-compliance with the provisions under regulation 8 of repeated violation of the quality of service standards specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 shall result in cancellation of the exclusivity.

(3) The procedure with regards to the termination of exclusivity under sub-regulations *(1)* and *(2)* shall be as under, namely:-

(a) the Board shall issue a notice to the defaulting entity allowing it a reasonable time to fulfill its service obligations under these regulations and also as per the quality of service standards specified in the Petroleum and

Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;

(b) no further action shall be taken in case remedial action to the satisfaction of the Board is taken by the entity within the specified period;

(c) in case of failure to take remedial action by the entity, the Board may encash the performance bond as per the following basis, namely:-

(i) twenty five percent of the amount of the performance bond for the first default; and

(ii) fifty percent of the amount of performance bond for the second default:

Provided that the entity shall make good the encashed performance bond in each of the cases within a week failing which the remaining amount of the performance bond shall also be encashed and the exclusivity including authorization of the entity shall be terminated;

(iii) one hundred percent of the amount of performance bond for the third default and the exclusivity shall also be simultaneously terminated;

(d) the entities authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 shall also have to replenish the performance bond within fifteen days failing which their authorization shall also be terminated.

(4) The exclusivity allowed under regulation 6 to an entity either proposing to operate a CGD network after the appointed day and which has been authorized by the Board, or which is operating a CGD network before the appointed day and which has been authorized by the Central Government or the Board under

the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, shall be terminated in case the entity fails to comply with the service obligations under these regulations or on repeated violations of the quality of service standards as per the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

(5) The procedure with regards to the termination of exclusivity under sub-regulation *(4)* shall be as under, namely:-

(a) the Board shall issue a notice to the entity for not meeting the service obligations under these regulations and also quality of service standards specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and allow it a reasonable time to fulfill its obligations under these regulations;

(b) no further action shall be taken in case remedial action is taken to the satisfaction of the Board by the entity within the specified period;

(c) in case of failure to take remedial action, the Board may encash the performance bond on the following basis, namely:-

(i) twenty five percent of the amount of the performance bond for the first default; and

(ii) fifty percent of the amount of performance bond for the second default:

Provided that the entity shall make good the encashed performance bond in either of the cases within a week, failing which the remaining amount of the performance bond shall also be encashed and the exclusivity including authorization of the entity shall be terminated;

(iii) one hundred percent of the amount of performance bond for the third default and the exclusivity shall also be simultaneously terminated;

(d) The entities authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 shall also have to replenish the performance bond within fifteen days, failing which their authorization shall also be terminated;

(e) any entity losing its exclusivity allowed under regulation 5 shall also automatically lose its exclusivity allowed under regulation 6.

11. **Miscellaneous.**

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

Schedule A
[see regulation 4]

Rationale for allowing exclusivity to lay, build, operate or expand a CGD network [1]

1 Exclusivity-

a) for laying, building or expansion of the CGD network during the economic life of the project; and

b) in terms of an exemption from the purview of the contract carriage or common carrier for a limited period of time-

is envisaged with a view to facilitate the development of a planned and integrated CGD network with appropriate priorities for end-use of natural gas as also the network spread besides providing incentive to the entity for investing in such project.

2 Exclusivity as per sub-clause a) of clause 1 is or shall be necessary to facilitate the development and operation of an integrated network by a single entity as per the prescribed technical standards, specifications including safety standards. This shall also obviate multiple digging-up of lanes, roads, etc. in the authorized area.

3 Exclusivity as per sub-clause b) of clause 1 is or shall be necessary due to the following reasons, namely:-

a) During the initial phase of the development of city or local natural gas distribution network, there shall be a need to have a close synchronization between the development of requisite infrastructure and the ramp-up in the natural gas volumes for different end-consumers in different areas. It is expected that the development of the city or local natural gas distribution network would be quicker if the same is guided by entity's own plan (which is responsible for meeting various service obligations) rather than the expectation of other potential marketers of natural gas in the network. Also, it shall be more practical for the Board to deal with one entity rather than multiple entities to ensure a strict compliance with the service obligations by the entity in the initial period;

b) during such limited period of exclusivity, the authorized entity could be made directly responsible for meeting the desired service obligations, viz., achieving maximum PNG domestic connections and other related aspects;

c) besides such an approach is also likely to incentivize investments in this capital intensive business.

4 Ideally, while the exclusivity as per sub-clause a) of clause 1 shall be for the economic life of the project, the exclusivity as per sub-clause b) of clause 1shall depend upon various factors, viz., the projected natural gas demand build-up in the city or local area (which in turn would depend upon the key drivers for demand in that city or local area, such as, level of industrial or commercial activity, vehicular population and conversion of vehicles in to CNG, potential domestic PNG customers, consumer preferences, price of alternative fuels, etc.), geographical spread and population, projected capital cost of the project, investment climate, etc. However, considering that these factors shall vary from city to city, a credible

---

1 This Schedule A only explains the rationale for allowing exclusivity to entities for laying, building, operating or expanding CGD Networks and is not part of these regulations. Therefore, it does not have any legal force and should not be quoted or relied upon while interpreting these regulations.

assessment of exclusivity period based on these factors may not be always practical. Thus, it is proposed that the period of exclusivity at sub-clause b) of clause 1 may be limited to five years for cases where an entity proposes to lay, build, operate or expand a CGD network. However, where an entity is laying, building, operating or expanding a CGD Network before the appointed day and has been authorized by the Central Government or is authorized by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the period of exclusivity shall be for three years (if the entity has been operating for three years or more before the appointed day) or five years (if the entity has been operating for less than three years before the appointed day).

[F. No. S-Admn/II/8/2007-Vol. I]

AJAY TYAGI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.